झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 04.03.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री अरूप चटर्जी, डॉ0 इरफान अंसारी एवं श्री बादल स0वि0स0	राज्य भर में लगभग 135 अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय है जिसमें 2285 स्वीकृत पदों पर कर्मी कार्यरत हैं तथा वर्त्तमान में लगभग 100 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों का अनुमोदन संबंधित विभाग में लम्बित है। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मियों/अन्य कर्मियों को राजकीयकृत विद्यालयों की भाँति न तो नियमित वेतन, न सेवानिवृत्ति के पश्चात अर्जित अवकाश का लाभ एवं न ही MACP का लाभ मिलता है, और तो और यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों को पुस्तक, पोशाक एवं साईकिल का लाभ भी नहीं मिल पाता है। अतः स्कूली शिक्षा में इन विसंगतियों को दूर करने के संबंध में मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
02-	श्री जगरनाथ महतो स0वि0स0	गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड के टिंगराकला से ठाकुरडीह के बीच में पुल निर्माण का डी0पी0आर0 तैयार किया जा चुका है। डी0पी0आर0 पर मंत्री एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इसके बावजूद भी अभी तक उक्त पुल का प्रशासनिक स्वीकृति नही दी गयी है। जिससे आम लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती है। इस मार्ग से 5 पंचायत के लोग प्रतिदिन आवागमन करते है। जनहित के अतिमहत्वपूर्ण प्रश्न गिरिडीह जिलान्तर्गत डुमरी प्रखण्ड के टिंगरा कला से ठाकुरडीह के बीच पुल निर्माण हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	ग्रामीण विकास

01.	02.	03.	04.
03-	सर्वश्री ताला मराण्डी, केदार हजरा एवं श्री अशोक कुमार स0वि0स0	गोड्डा जिलान्तर्गत बोआरीजोर प्रखंड के ललमटिया में राजमहल परियोजना (ECL) का कोयला खदान चलाया जा रहा है। जिसके कारण खदान के आस-पास के इलाके में जल का स्तर काफी नीचे जा चुका है। साथ ही राजमहल परियोजना द्वारा सामान्य दिनों में एक लाख पैंतीस हजार गैलन एवं मानसून के दिनों में 45 लाख गैलन पानी प्रति दिन बर्बाद किया जा रहा है, परिणाम स्वरूप परियोजना से बहाये जाने वाले गंदे पानी से किसानों की उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है। जबकि भूगर्भ जल का संचयन होना चाहिये, ऐसी परिस्थिति में राजमहल परियोजना अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करने में असफल रहा है। जिसके कारण गोड्डा जिला के महागामा, मेहरमा, ठाकुरगंगटी एवं बोआरीजोर प्रखंड के सैंकड़ों गाँव में पेयजल का घोर संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार द्वारा पेयजल हेतु लगाया गया नलकूप निरन्तर विफल होते जा रहा है, परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों का सभी कुआं भी सुख चुका है। उक्त प्रभावित क्षेत्र से मात्र 20 से 30 किलोमीटर दूरी पर बिहार के कहलगांव में गंगा नदी है, जहाँ से उक्त प्रखण्ड के प्रभावित ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति कराई जा सकती है, एवं राजमहल परियोजना द्वारा प्रतिदिन लाखों गैलन बहाए जाने वाला गन्दा पानी को वाटर ट्रीटमेंट करके नदी-नाले में छोड़े जाने से किसानों के खेत में सिंचाई भी हो सकती है। अस्तु गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा, मेहरमा, ठाकुरगंगटी एवं बोआरीजोर प्रखंड में कहलगाँव (बिहार) के गंगा नदी से पेयजल आपूर्त्ति कराने के साथ-साथ राजमहल परियोजना द्वारा बहाए जाने वाले पानी का वाटर ट्रीटमेंट कराने एवं भूगर्भ जल का संचयन कराने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता
04-	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	झारखण्ड में मारवाड़ियों को प्राप्त हो रहे आरक्षण में प्रक्रियागत त्रुटि के कारण लाखों परिवार को आरक्षण के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। सरकार के प्रावधान के अनुसार जमीन डीड की कॉपी में अग्रहरी-वैश्य का होना आवश्यक है। बहुत सारे मारवाड़ी अपने गोत्र मित्तल, गोयल, गार्ग आदि के सरनेम से जाने जाते है, जबकि अग्रवाल महाराज	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ0उ0

		अग्रसेन के वंशज का एक कॉमन सरनेम है। अग्रवाल सरनेम वाले व्यक्ति को काफी लम्बी प्रक्रिया के पश्चात अपने को अग्रहरी- वैश्य के रूप में प्रमाणित करना पड़ता है। अतः मैं इस प्रक्रिया को सरल करने की आवश्यकता की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
05-	श्री योगेश्वर महतो स0वि0स0	बोकारो इस्पात कारखाना के लिए बिहार राज्य के राज्यपाल श्री बी. नारायण ने 29 अप्रैल 1964 में भू-अधिग्रहण अधिसूचना जारी किया, जिसमें रैयती, खासमहल, गैरमजरूवा, वनभूमि, सी0एन0टी0 प्रभावित करीब 36246 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। मगर विस्थापितों को नियोजन सहित अन्य लाभ देने से सेल प्रबंधन हमेशा नजरअंदाज करता रहा, जिसके खिलाफ विस्थापित आज भी आंदोलनरत हैं। तत्संबंध श्री डी0पी0 महेश्वरी, श्री आर0सी0 वैश्य दोनों सरकार के विशेष सचिव ने क्रमशः अपने पत्रांक-11803, दिनांक- 26 जुलाई 1983, पत्रांक-14957 दिनांक- 17.09.1983 में तथा तत्कालीन मुख्य नगर प्रशासक श्री के0एम0 जॉर्ज ने वर्ष 1964 में स्टील प्लांट के सभी चतुर्थवर्गीय पदों में शिक्षित, विस्थापित बेरोजगारों को प्रशिक्षित कर नौकरी देने की घोषणा किया। इसी तरह दिनांक- 10.11.1975 को सरकार के मुख्य सचिव श्री शरण सिंह की अध्यक्षता में 15 विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक कर विस्थापित हित में इन्हें छोटा-मोटा ठेका, सिटी सेन्टरों में 50 प्रतिशत व्यवसायिक प्लॉट एवं अन्य स्वरोजगार के विकल्प मुहैया कराने, नौकरी एवं पूनर्वास का हक दिलाने का निर्णय लिया गया, जिसे भी सेल प्रबंधन ने दर किनार कर दिया, साथ ही आधा-अधूरा रिपोर्ट केन्द्रीय सेल प्रबंधन को देता रहा और बोकारो के विस्थापितों के साथ अन्याय करता रहा।	उद्योग

		अतएव आग्रह है कि विभिन्न समयों में सरकार के सक्षम पदाधिकारियों के आदेश का अनुपालन कराकर तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय पदों में विस्थापितों को शत प्रतिशत नियोजन दिलाने सहित विस्थापित हित में विभिन्न प्रकार का निर्णय लेकर सेल प्रबंधन को शत प्रतिशत लागू कराने एवं राज्यस्तरीय आयोग गठन करने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 04 मार्च, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-2012/वि0 स0, राँची, दिनांक- 03/03/16

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
03/03/16

(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2016-2012/वि0 स0, राँची, दिनांक- 03/03/16.

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
03/03/16

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

03/03/16